

फाईनल डिक्ली मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम -हिण्डौन सिटी जिला करौली
इजलास अनूपसिंह, R.A.S.

उनवान

रामेश्वर पुत्र श्री गिराज जाति गुर्जर निवासी बेडा बनकी तहसील हिण्डौन सिटी
जिला करौली राजस्थान _____ वादी

बनाम

1. बाबू पुत्र गिराज
2. जीतेन्द्र पुत्र तेजी
3. अमृत बेबा तेजी
4. निम्वेश | पुत्रियों तेजी
5. कमलेश
6. विकेश
7. विनेश
8. बन्टी पुत्र हाकिम
9. सीमा | पुत्रियों हाकिम नाबालिगान जरिये नेचुरल गार्जियन माता खुद
10. निरमा | गीता पत्नि हाकिम
11. गीता पत्नि स्व0 हाकिम
12. साहबसिंह | पिसरान गिराज
13. कप्तानसिंह
14. धनसिंह पुत्र सुन्दर
15. सभी जातियान गुर्जर निवासी बेडा बनकी तहसील हिण्डौन जिला करौली
16. सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 हिण्डौन सिटी शाखा हिण्डौन जिला करौली
17. तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली
उप पंजीयक हिण्डौन सिटी जिला करौली _____



दावा बाबत् घोषणा खातेदारी
बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं० 92/2014

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे हाजिरी श्री कर्मेन्द्र कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट मिन कानिव मुदई रुबरुमिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व मुताविक बंटवारा स्कीम के अनुसार फाईनल डिक्री दी जाती है कि आराजी खसरा नम्बर 170/2 रकबा 0.09 है०, 196/2 रकबा 0.14 है०, 269/2 रकबा 0.10 है०, 268/2 रकबा 0.10 है०, 264/2 रकबा 0.07 है०, 278/2 रकबा 0.05 है०, 297/2 रकबा 0.05 है०, 271/2 रकबा 0.10 है०, 266/2 रकबा 0.05 है०, 272/3 रकबा 0.06 है० कुल किता 10 कुल रकबा 0.81 है० वाके ग्राम बेडा बनकी तहसील हिण्डौन का वादी रामेश्वर पुत्र गिराज जाति गुर्जर निवासी बेडा बनकी तहसील हिण्डौन को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 170/1 रकबा 1.06 है०, 196/1 रकबा 1.51 है०, 269/1 रकबा 0.10 है०, 268/1 रकबा 0.11 है०, 264/1 रकबा 0.78 है०, 278/1 रकबा 0.47 है०, 279/1 रकबा 0.65 है०, 271/1 रकबा 1.17 है०, 266/1 रकबा 0.55 है०, 272/2 रकबा 1.20 है०, 268/3 रकबा 0.10 है०, 265 रकबा 0.43 है०, 276 रकबा 0.44 है०, 277 रकबा 0.26 है०, 267 रकबा 0.08 है०, 270 रकबा 0.02 है० कुल किता 16 कुल रकबा 8.93 है० वाके ग्राम बेडा बनकी तहसील हिण्डौन का बाबूसिंह साहबसिंह कप्तान पिसरान गिराज हि० 33/120, जीतेन्द्र पुत्र तेजी अमृता पत्नि स्व० तेजी कमलेश वीकेश निम्वेश विनेश पुत्रियाँ तेजी हि० 11/120 संरक्षक माता खुद अमृता, बन्टी पुत्र हाकिम सिया निरमा पुत्रियाँ हाकिम सभी नावालिग संरक्षक माता खुद गीता पत्नि स्व० हाकिम हि० 11/120, बिला रहन, धनसिंह पुत्र सुन्दर हि० 13/24 जाति गुर्जर सा०देह को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है तथा पूर्व के समस्त इन्द्राज हजफ करने के आदेश दिये जाते हैं। रहन मुर्तहिन के इन्द्राजात मुताविक जमाबन्दी खातेदार के हिस्से पर उपरोक्तानुसार बदस्तूर रहेंगे। बंटवारा स्कीम के साथ प्राप्त नक्शा

ट्रेस की प्रति निर्णय का ही एक भाग है। तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व सीट में अमल दरामद करें तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 170/2 रकबा 0.09 है0, 196/2 रकबा 0.14 है0, 269/2 रकबा 0.10 है0, 268/2 रकबा 0.10 है0, 264/2 रकबा 0.07 है0, 278/2 रकबा 0.05 है0, 279/2 रकबा 0.05 है0, 271/2 रकबा 0.10 है0, 266/2 रकबा 0.05 है0, 272/3 रकबा 0.06 है0 कुल कित्ता 10 कुल रकबा 0.81 है0 वाके ग्राम बेडा बनकी तहसील हिण्डौन में वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत ना तो स्वयं करें ना ही किसी अन्य से करावें। वादी को उक्त भूमि से बेदखल नहीं करें। प्रतिवादीगण ऐसा कोई कार्य नहीं करें कि जिससे वादी के हक, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पड़े। निर्णय व डिक्री की प्रति मय नक्शा ट्रेस की प्रति के साथ तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22.08.2021
को यह डिक्री जारी की गई।

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं० 92/2014

तारीख रजू:- 11.08.2014

पीठासीन अधिकारी :- अनूपसिंह

R.A.S.

रामेश्वर पुत्र श्री गिराज जाति गुर्जर निवासी बेडा बनकी तहसील हिण्डौन सिटी
जिला करौली राजस्थान _____ वादी

बनाम

1. बाबू पुत्र गिराज
2. जीतेन्द्र पुत्र तेजी
3. अमृत बेबा तेजी
4. निम्वेश | पुत्रियों तेजी
5. कमलेश
6. विकेश
7. विनेश
8. बन्टी पुत्र हाकिम
9. सीमा | पुत्रियों हाकिम नाबालिगान जरिये नेचुरल गार्जियन माता खुद
10. निरमा | गीता पत्नि हाकिम
11. गीता पत्नि स्व० हाकिम
12. साहबसिंह | पिसरान गिराज
13. कप्तानसिंह
14. धनसिंह पुत्र सुन्दर
15. सभी जातियान गुर्जर निवासी बेडा बनकी तहसील हिण्डौन जिला करौली
16. सहकारी भूमि विकास बैंक लि० हिण्डौन सिटी शाखा हिण्डौन जिला करौली
17. तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली
उप पंजीयक हिण्डौन सिटी जिला करौली _____ प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, बंटवारा
एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :- 1. श्री कर्मेन्द्र कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट वादी

निर्णय

दिनांक :- २-८-२०२१

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी का दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 17.06.
2016 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर आराजीयात खसरा नम्बर 170, 196, 264,

265, 266, 267, 268, 270, 271, 272, 2736, 277, 278, 279 कुल किता 15 कुल रकबा 9.74 है0 ग्राम बेडा बनकी में पक्षकारान के रिकार्ड में हिस्सेनुसार अच्छी में से अच्छी और बुरी में से बुरी भूमि की बंटवारा स्कीम तैयार करने के आदेश जारी कर भू- अभिलेख निरीक्षक वृत्त डिंडोरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था।

उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार हिण्डौन ने पत्रांक एलआर/ 2017/524 दिनांक 16.05.2017 के साथ बंटवारा स्कीम दो प्रतियों में तैयार कर न्यायालय में पेश की है।

वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादी की बंटवारा स्कीम पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस मुताविक बंटवारा स्कीम वादी का दावा डिकी किये जाने का निवेदन किया है।

वकील वादी उपस्थित। वकील वादीगण की एकतरफा बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व उसमें उपलब्ध रिकार्ड तथा बंटवारा स्कीम का अवलोकन किया। बंटवारा स्कीम के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 170/2 रकबा 0.09 है0, 196/2 रकबा 0.14 है0, 269/2 रकबा 0.10 है0, 268/2 रकबा 0.10 है0, 264/2 रकबा 0.07 है0, 278/2 रकबा 0.05 है0, 279/2 रकबा 0.05 है0, 271/2 रकबा 0.10 है0, 266/2 रकबा 0.05 है0, 272/3 रकबा 0.06 है0 कुल किता 10 कुल रकबा 0.81 है0 वाके ग्राम बेडा बनकी तहसील हिण्डौन वादी रामेश्वर पुत्र गिराज जाति गुर्जर निवासी बेडा बनकी के हिस्से में आयी है तथा खसरा नम्बर 170/1 रकबा 1.06 है0, 196/1 रकबा 1.51 है0, 269/1 रकबा 0.10 है0, 268/1 रकबा 0.11 है0, 264/1 रकबा 0.78 है0, 278/1 रकबा 0.47 है0, 279/1 रकबा 0.65 है0, 271/1 रकबा 1.17 है0, 266/1 रकबा 0.55 है0, 272/2 रकबा 1.20 है0, 268/3 रकबा 0.10 है0, 265 रकबा 0.43 है0, 276 रकबा 0.44 है0, 277 रकबा 0.26 है0, 267 रकबा 0.08 है0, 270 रकबा 0.02 है0 कुल किता 16 कुल रकबा 8.93 है0 वाके ग्राम बेडा बनकी तहसील हिण्डौन बाबूसिंह साहबसिंह कप्तान पिसरान गिराज हि0 33/120, जीतेन्द्र पुत्र तेजी अमृता पत्नि स्व0 तेजी कमलेश वीकेश निम्वेश विनेश पुत्रियों तेजी हि0 11/120 संरक्षक माता खुद अमृता, बन्टी पुत्र हाकिम सिया निरमा पुत्रियों हाकिम समी नावालिग संरक्षक माता खुद गीता पत्नि स्व0 हाकिम हि0 11/120, बिला रहन, धनसिंह पुत्र सुन्दर हि0 13/24 जाति गुर्जर सा0देह राहिन सहकारी भूमि विकास

बैंक लि० शाखा हिण्डौन खसरा नम्बर 276 व 277 बिला रहन के हिस्से में आयी है।

वकील वादी उक्त बंटवारा स्कीम से सहमत हैं। बंटवारा स्कीम मुताविक निर्णय तैयार किया जाना सही प्रतीत होता है। ऐसे हालात में मुताविक बंटवारा स्कीम वादी का दावा फाईनल डिक्री योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा मुताविक बंटवारा स्कीम के आधार पर फाईनल डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 170/2 रकबा 0.09 है०, 196/2 रकबा 0.14 है०, 269/2 रकबा 0.10 है०, 268/2 रकबा 0.10 है०, 264/2 रकबा 0.07 है०, 278/2 रकबा 0.05 है०, 297/2 रकबा 0.05 है०, 271/2 रकबा 0.10 है०, 266/2 रकबा 0.05 है०, 272/3 रकबा 0.06 है० कुल कित्ता 10 कुल रकबा 0.81 है० वाके ग्राम बेडा बनकी तहसील हिण्डौन का वादी रामेश्वर पुत्र गिराज जाति गुर्जर निवासी बेडा बनकी तहसील हिण्डौन को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 170/1 रकबा 1.06 है०, 196/1 रकबा 1.51 है०, 269/1 रकबा 0.10 है०, 268/1 रकबा 0.11 है०, 264/1 रकबा 0.78 है०, 278/1 रकबा 0.47 है०, 279/1 रकबा 0.65 है०, 271/1 रकबा 1.17 है०, 266/1 रकबा 0.55 है०, 272/2 रकबा 1.20 है०, 268/3 रकबा 0.10 है०, 265 रकबा 0.43 है०, 276 रकबा 0.44 है०, 277 रकबा 0.26 है०, 267 रकबा 0.08 है०, 270 रकबा 0.02 है० कुल कित्ता 16 कुल रकबा 8.93 है० वाके ग्राम बेडा बनकी तहसील हिण्डौन का बाबूसिंह साहबसिंह कप्तान पिसरान गिराज हि० 33/120, जीतेन्द्र पुत्र तेजी अमृता पत्नि स्व० तेजी कमलेश वीकेश निम्वेश विनेश पुत्रियों तेजी हि० 11/120 संरक्षक माता खुद अमृता, बन्दी पुत्र हाकिम सिया निरमा पुत्रियों हाकिम सभी नावालिग संरक्षक माता खुद गीता पत्नि स्व० हाकिम हि० 11/120, बिला रहन, धनसिंह पुत्र सुन्दर हि० 13/24 जाति गुर्जर सा०देह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा पूर्व के समस्त इन्द्राज हजफ करने के आदेश दिये जाते हैं। रहन मुर्तहिन के इन्द्राजात मुताविक जमाबन्दी खातेदार के हिस्से पर उपरोक्तानुसार बदस्तूर रहेंगे। बंटवारा स्कीम के साथ प्राप्त नक्शा ट्रेस की प्रति निर्णय का ही एक भाग है। तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व सीट में अमल दरामद करें तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी

की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 170/2 रकबा 0.09 है0, 196/2 रकबा 0.14 है0, 269/2 रकबा 0.10 है0, 268/2 रकबा 0.10 है0, 264/2 रकबा 0.07 है0, 278/2 रकबा 0.05 है0, 279/2 रकबा 0.05 है0, 271/2 रकबा 0.10 है0, 266/2 रकबा 0.05 है0, 272/3 रकबा 0.06 है0 कुल किता 10 कुल रकबा 0.81 है0 वाके ग्राम बेडा बनकी तहसील हिण्डौन में वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत ना तो स्वयं करें ना ही किसी अन्य से करावें। वादी को उक्त भूमि से बेदखल नहीं करें। प्रतिवादीगण ऐसा कोई कार्य नहीं करें कि जिससे वादी के हक, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पड़े। निर्णय व डिक्री की प्रति मय नक्शा ट्रेस की प्रति के साथ तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। उपरोक्तानुसार फाईनल पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फौसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक ~~22.08.2024~~ को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली